



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30112021-231490
CG-DL-E-30112021-231490

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4532]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 30, 2021/अग्रहायण 9, 1943

No. 4532]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 30, 2021/AGRAHAYANA 9, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 नवम्बर, 2021

का.आ. 4901(अ).—मैसर्स बी.टी. (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड [प्रादेशिक कार्यालय, दिल्ली (दक्षिण) में कोड सं0 डीएल/940655 के अधीन] (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) के अधीन बनाई गई कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) के पैरा 27क के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है ;

और जबकि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त स्थापन की भविष्य निधि के अभिदाय की दरों के बारे में नियम, उसमें के कर्मचारियों के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 6 में विनिर्दिष्ट की तुलना में, कम अनुकूल नहीं है और उक्त अधिनियम या समान स्थिति किसी अन्य स्थापन में कर्मचारियों के संबंध में उक्त स्कीम के अधीन उपबंधित अन्य भविष्य निधि के फायदों को भी उपयोग करेंगे;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उक्त स्कीम के पैरा 27क के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, 31.03.2008 से उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के प्रचालन से और उक्त स्कीम के पैरा 27कक के परिशिष्ट "क" में यथाविनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन अगले आदेशों तक और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के लिए उक्त स्थापन के कर्मचारियों के वर्ग अर्थात् स्थापन के नामावली में वैसे कर्मचारी जो स्थापन के कार्य के संबंध में मासिक या अन्य किसी प्रकार की मजदूरी के लिए सीधे नियोजित हैं और

जिन्हें स्थापन द्वारा सीधे मजदूरी/वेतन का भुगतान किया जाता है और जिनमें संविदा आधार पर या किसी संविदा या ठेकेदार के माध्यम से नियोजित कर्मचारी शामिल नहीं हैं, को छूट देती है, अर्थात् :-

- (i) न्यास निधि की छूट प्राप्त को ग्रहण करने के मामले में अंतरीय व्याज को सम्यक् हानि के वर्तमान शुद्ध मूल्य प्राक्कलित स्थापन से पुनः प्राप्त होगा;
- (ii) न्यास द्वारा अप्रवर्तनशील खाते के विषय में वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि नियम, 2016 का अनुपालन किया जाएगा ;
- (iii) प्रमाणित चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणपत्र प्रस्तुत करके उक्त स्थापन द्वारा आसन्निकट परिपत्र का अनुपालन करना ;
- (iv) स्थापन द्वारा समय-समय पर आधार सीडिंग की प्रास्थिति को अद्यतन किया जाएगा ; और
- (v) केंद्रीय सरकार उक्त स्थापन की छूट को जारी करने के लिए अतिरिक्त शर्तें अधिकथित कर सकेगी और उक्त स्थापन ऐसी अतिरिक्त शर्तें, जैसे ही और जब समान संसूचित किया जाता है, अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

[फा. सं. एस-35015/5/2016-एसएस-II]

आर.के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th, November, 2021

S.O. 4901(E).— Whereas, M/s B T (India) Private Limited, [Under Code No. DL/940655, in Regional Office, Delhi (South)] (hereinafter referred to as the said establishment) has applied for exemption under paragraph 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952 (hereinafter referred to as the Scheme) framed under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, (19 of 1952)(hereinafter referred to as the Act)

And whereas, in the opinion of the Central Government, the rules of the provident fund of the said establishment with respect to the rates of contribution are not less favourable to employees therein than those specified in section 6 of the said Act and the employees are also in enjoyment of other provident fund benefits provided under the said Act or under the said scheme in relation to the employees in any other establishment of similar character;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under paragraph 27 A of the said Scheme read with sub-section (2) of section 17 of the said Act, the Central Government after consultation with the Central Board, hereby, exempts the class of employees of the said establishment, i.e. employees on the rolls of establishment who are directly employed for wages, monthly or otherwise, in connection with the work of the establishment and who are directly paid wages/salaries by the establishment and not including the employees employed on contract basis or through a contract or contractor from the operation of all the provisions of the said Scheme with effect from the 31st March, 2008, and until further orders, subject to the terms and conditions as specified in Appendix 'A' to Paragraph 27AA of the said Scheme and in addition to the following conditions, namely:-

- i. In case of takeover of the exempted Trust Fund, estimated net present value of the loss due to differential interest shall be recovered from the establishment;
- ii. Compliance of Senior Citizens' Welfare Fund Rules, 2016 in respect of inoperative account by the trust shall be made;
- iii. Abiding of arms' length circular by the said establishment by furnishing a certificate from a certified chartered accountant;
- iv. Aadhaar seeding status shall be updated from time to time by the establishment; and
- v. The Central Government may lay down further conditions for continuation of exemption of the said establishment and the said establishment shall be bound to comply with such additional conditions as and when the same are communicated.

[F. No. S-35015/5/2016-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.